

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ 981 /2023


दिनांक : 22.03.2023

श्री नवीन रतनू (RJ0946), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर को दिनांक 02.03.2023 से 03.03.2023 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री रतनू की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/114/2015/2096

दिनांक 22.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 2376 दिनांक 08.03.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री नवीन रतनू (RJ0946), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बाड़मेर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ।

  
सहायक रजिस्ट्रार